विदेशी मुद्रा की दरों, आदि में परिवर्तन होने के कारण, वृद्धि हो जाती है ।

कोयला-भंडारों का रखरखाव, नियंत्रण और सत्यापन

2451. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के भंडारों के रखरखाव, नियंत्रण और सत्यापन की वर्तमान प्रणाली की जांच हेतु 1989 के बाद एक उप-समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उप-समिति से अपना प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड ने दिनांक 22-12-90 को संपन्न अपनी 113वीं बैठक में एक उप-समिति की नियुक्ति की, ताकि ऊपरी मलबा हटाये जाने तथा कोयले के स्टाक के निश्चित तौर पर मापन किए जाने की वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया की जा सके ।

(ख) से (घ) इस उप-समिति ने विस्तृत रूप में अध्ययन किए जाने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड द्वारा उप-समिति की कुछ संशोधनों के साथ इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है । स्वीकृत की गई इन सिफारिशों को संहिताबद्ध कर दिया गया है और कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सख्ती से क्रियान्वित किए जाने के लिए इनका प्रचालन कर दिया गया है । इस संहिता में कोयले तथा कोयले के मलबे को ओपनकास्ट खानों में मापे जाने, भूमिगत खानों में कोयले के उत्पादन को मापने के लिए कोलियरी उपभोग के लिए कोयले को जारी किए जाने के लिए मानदण्ड और कोयले के स्टाक में कमी होने के मामलों में जांच तथा कार्यवाही, आदि किए जाने के बारे में अंगीकृत की जाने वाली पद्धति निर्धारित की गई है ।

कोयले पर रायल्टी

2452. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि या नहीं कि कोयले पर रायल्टी कोयले के मूल्य के आधार पर निर्धारित दी जाती थी;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह रायल्टी कोयले के वजन के आधार पर देने के क्या कारण है;

(ग) क्या कोयले का मूल्य विद्यमान मूल्य का 40 प्रतिशत हुआ करता था; और

(घ) इस समय जो रायल्टी दी जा रही है वह कितना प्रतिशत बैठती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) वर्ष 1966 के पूर्व अधिकांश खनिजों पर रायल्टी की दरें पिटों के मुहानों पर कोयले की बिक्री कीमत की प्रतिशतता के रूप में निर्धारित की जाती थीं, अर्थात् यथामूल्य आधार पर ।

इसके बाद में गठित किए गए अध्ययन दलों ने खनिजों पर रायल्टी की दरों का यथामूल्य आधार पर निर्धारण किए जाने की पद्धति की सिफारिश नहीं की ।

(ग) कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले की वर्ष 1982 में (रु० 145.90) की औसत कीमत, वर्तमान (382 रु० प्रति टन) की औसत कीमत की तुलना में लगभग 38 प्रतिशत होने का हिसाब लगाया गया है ।

(घ) कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) के कोयले की रायल्टी की दर (70 रु० प्रति टन) की औसत दर को० इं० लि० के कोयले की वर्तमान (382 रु० प्रति टन) की औसत कीमत की तुलना में 18.3% होने का हिसाब लगाया गया है ।

कोयले पर रायल्टी का निर्धारण

2453. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर रायल्टी उसके मूल्य के आधार निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह तरीका कोयले के वजन के आधार पर रायल्टी निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली की तुलना में बेहतर नहीं है और क्या वजन के बजाय मूल्य के आधार पर कोयले पर रायल्टी निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा; और

(ग) क्या कोयले के मूल्य के अनुसार रायल्टी निर्धारित करने में कोई कठिनाई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) एम० एन० (आर० एण्ड डी०) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3), केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है, ताकि रायल्टी की दरों में कमी अथवा वृद्धि की जा सके, जिस दर पर कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई प्रभावी किसी ऐसी तारीख से किसी खनिज के मामले में रायल्टी की राशि देय होगी । पूर्व में केन्द्रीय सरकार रायल्टी की दरों को निर्धारित करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के संबंध में और इस संबंध में सरकार को सिफारिश करने के लिए अध्ययन दल गठित करती रही है । फरवरी, 1991 में गठित अध्ययन दल ने रायल्टी की दरों को यथा मूल्य आधार पर निर्धारित करने का समर्थन नहीं किया था और उसने कोयले पर विशिष्ट दरों पर रायल्टी निर्धारित करने की सिफारिश की थी । तदनुसार रायल्टी की दरें दिनांक 1-8-91 पिछले संशोधन के मामले में विशिष्ट आधार पर निर्धारित की गई थीं । सामान्यतः विशिष्ट दरों को कर प्रशासन की दृष्टि से बेहतर माना जाता है, चूंकि कीमत की तुलना में मात्रा तो केवल विषयपरक मात्र है ।